न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी, श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या – 107/2023
जीसीएमएस सं. – 2023/279

–:: वादी ::–

गोपालराम पुत्र बदीराम जाति
मेघवाल निवासी खारिया खंगार
तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण ::–

1. मदनलाल पुत्र गिरधारीराम जाति मेघवाल निवासी बोरून्दा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
2. राजेश पुत्र शोकीनराम जाति मेहतर निवासी पुन्दलु तहसील मेड़ता जिला नागौर ।
3. सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड शहर जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दर्ज तारीख :– 17.08.2023

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री मधुसुदन चौधरी, अधिवक्ता वादी
2. श्री बक्तावरसिंह जाखड़ अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2.

निर्णय

दिनांक :01.08.2024

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम घोड़ावट तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं :– खाता सं. 68 खसरा नम्बर 332 रकबा 0.3883 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ भूमि आई हुई हैं। उपरोक्त वर्णित आराजी को वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वाद–पत्र के पद संख्या एक में वर्णित वादग्रस्त आराजी खंसरा नंम्बर 332 रकबा 0.3883 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या एक व दो की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है। जिसमें वादी का 3/20वां हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या एक का 1/2वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या दो का 7/20वां हिस्सा है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या एक व दो वादग्रस्त आराजी पर संयुक्त रूप से साझूलियत अनुसार शामलाती रूप से काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक कानून अनुसार बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है। वादग्रस्त आराजी अविभाजित आराजी है जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या एक व दो संयुक्त रूप से काबिज होकर कास्त करते आ रहे है। वादी ने वादग्रस्त आराजी का कानून अनुसार बंटवाड़ा करवाने हेतु कई बार प्रतिवादीगण को कहा लेकिन प्रतिवादीगण टालमटोल करते आ रहे है हाल ही में दिनांक 31/07/2023 को प्रतिवादीगण अविभाजित वादग्रस्त आराजी पर आये तथा वादग्रस्त अविभाजित आराजी को बैचान करने की गरज से दिखाने लगे इस पर वादी ने मना किया कि अभी तक वादग्रस्त आराजी अविभाजित है जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या एक व दो संयुक्त रूप से काबिज होकर कास्त करते आ रहे है जिसका कानून

अनुसार बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है इसलिए अविभाजित आराजी के प्रत्येक इंच जमीन पर प्रत्येक सहखातेदार काश्तकार का समान हक व हिस्सा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को वादग्रस्त अविभाजित आराजी को बैचान हस्तान्तरण करने का कोई विधिक अधिकार नही है इस पर प्रतिवादीगण अत्यधिक नाराज हो गये तथा वादी को ऐलानिया रूप से धमकी दी कि वे वादग्रस्त आराजी की कीमती जमीन देखकर प्रतिवादीगण अविभाजित आराजी को अजनबी व्यक्तियो को बैचान कर देगे तथा वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल कर देगे जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है जिसके लिए वादी को उक्त वाद–पत्र बाबत जारी करने स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना पड़ रहा है। इस्तदुआ वादी निम्न प्रकार से है – वादी के हक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिकी फरमाया जाकर ग्राम घोडावट की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खंसरा नंम्बर 332 रकबा 0.3883 हैक्टर कुल खंसरा 01 कुल रकबा 0.3883 हैक्टयर भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या एक व दो के मध्य माफिक हक हिस्सा अनुसार माप व सीमांकन के अनुसार बंटवाड़ा की डिकी सादिर फरमावें। वादी के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिकी फरमाया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी वादी के हक में सादिर फरमायी जावे की ग्राम घोडावट की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खंसरा नंम्बर 332 रकबा 0.3883 कुल खंसरा 01 कुल रकबा 0.3883 हैक्टयर भूमि के वादी के 3/20वां बन्ट हक हिस्सा की जमीन में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलनदाजी पैदा नही करें न किसी अन्य से करावें। अन्य अनुतोष जो हित वादी हो वादी के हक में अता फरमावें।

वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादी सं. 1 के सम्मन पूर्व में बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता बक्तावरसिंह जाखड़ ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत जिसमें बताया कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी सं. एक व दो की संयुक्त खातेदरी कब्जारसुद जमीन है। ग्राम घोड़ावट की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 0.3883 हैक्टयर में वादी का 3/20 वां हिस्सा, प्रतिवादी का एक का 1/2 वां व प्रतिवादी सं. दो का 7/20 वां हिस्सा हैं। वादी व प्रतिवादी सं. एक व दो वादग्रस्त आराजी पर अलग अलग काबिज होकर काश्त करते आ रहें हैं। वादग्रस्त आराजी पर माफिक कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा करवाने हेतु तैयार हैं। लेकिन वादी ने वास्तविक तथ्यो को छिपाकर माननीय न्यायालय हाजा में वाद पेश किया जो काबिल खारिज हैं। वादी ने वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा करवाने हेतु कभी प्रतिवादीगण का न ही कहा दिनांक 31.07.2023 को प्रतिवादी कतई वादग्रस्त बेचान करने की गरज से अजनबी लोगो को दिखाने नही ले गयें। सारे तथ्यो को तोड़ मरोड़ के पेश किया हैं। प्रतिवादी सं. दो कतई जमीन बेचान नही कर रहा हैं। वादी व प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर अलग अलग काबिज काश्त है तथा माटे कायम की हुई हैं। वादपत्र इस्तदुआ वादी है जो वादी द्वारा सम्पूर्ण वाद एक मनगढ़त कहानी का रूप देकर पेश किया होने से चलने योग्य नही हैं। वादग्रस्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी सं. एक व दो अलग अलग काबिज काश्त है कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा करवाने हेतु वादी को कहा लेकिन वादी ने उक्त वाद पेश किया हैं। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

कि वादी का वाद सारहीन, मिथ्या, तथ्यो पर आधारित होने से खर्चा हर्जा सहित खारिज फरमावें।

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम घोड़ावट के खसरा नम्बर 332 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सां एवं उनके कब्जे काश्त का माप व सीमांकन का बंटवाड़ा किया उचित प्रतीत होता हैं। अतः तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि वादग्रस्त आराजी मौजा घोड़ावट के खसरा 332 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स व मौके पर कब्जा काश्त का ध्यान रखते हुए राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1959 के नियम 18 से 22 की अक्षरशः पालना करते हुए प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस आशय की प्राथमिक डिकी दिनांक 20.06.2024 जारी की गयी।

प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार पीपाड़ शहर मौके पर जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 04.07.2024 को पत्रांक भू.अ./2024/1775 द्वारा प्रस्तुत किया। जिसके पैरा सं. 03 के अनुसार वादग्रस्त आराजी का निम्नानुसार विभाजन प्रस्तावित किया ।

ग्राम घोड़ावट

क्र. सं.	सहखातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हेक्टयर)	किस्म जमीन	लगान रूपये	सीमाओ का वितरण जहॉ एक ही खसरे को विभाजन किया गया
1	गोपालराम पुत्र बदीराम जाति मेघवाल	332	0.0729	B IV		संलग्न प्रस्ताव अनुसार
2	राजेश पुत्र शोकीनराम जाति मेहतर व मदनलाल पुत्र गिरधारीराम जाति मेघवाल	332	0.3154	B IV		संलग्न प्रस्ताव अनुसार

बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर दोनो वकुलायो की बहस सुनी गई। वकील उभय पक्ष ने पीडी पालना में तहसीलदार द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिकी जारी किये जाने की सहमति प्रदान की । किसी ने भी किसी प्रकार की आपति नही जताई । अतः प्राथमिक डिकी की पालना में पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर खाता विभाजन का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनोपरांत एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि मौजा घोड़ावट पटवार हल्का खवासपुरा भू.अ.नि. चौकड़ीकलां तहसील पीपाड़ शहर के खाता सं. 68 खसरा नम्बर 332 रकबा 0.3883 हैक्टयर का विभाजन तहसीलदार द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव के पैरा सं. 03 के अनुसार किया जाकर सम्बन्धित काश्तकारों को संबधित हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। उभय पक्षकारान एवं दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य नौकर एजेन्ट/परिचित से करवाये इस अमर आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं। तहसीलदार पीपाड़ शहर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ सहर (जोधपुर)

पालना रिपोर्ट पेश करें । तहसीलदार पीपाड़ शहर को पालना हेतु तहरीर जारी हो । उभय पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ए इजलास सुनाया गया।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D & I)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास श्री दूदाराम हुड्डा R.A.S.

गोपालराम बनाम मदनलाल वगैरा

दावा बाबत 53,188 आर टी एक्ट राजस्व मूल वाद संख्या 107/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील मधुसुदन चौधरी मनजानिब मुदई वकील बक्तावरसिंह जाखड़ मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि मौजा घोड़ावट पटवार हल्का खवासपुरा भू.अ.नि. चौकड़ीकलां तहसील पीपाड़ शहर के खाता सं. 68 खसरा नम्बर 332 रकबा 0.3883 हैक्टयर का विभाजन तहसीलदार द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव के पैरा सं. 03 के अनुसार किया जाकर सम्बन्धित काश्तकारों को संबधित हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। उभय पक्षकारान एवं दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य नौकर एजेन्ट/परिचित से करवाये इस अमर आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं। तहसीलदार पीपाड़ शहर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करें । तहसीलदार पीपाड़ शहर को पालना हेतु तहरीर जारी हो । अन्तिम डिक्री पर्चा जारी किया जाता हैं।

लीज .....शून्य .....मुवलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरद.....शून्य.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....शून्य.....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.08.2024 को जारी की गई।

दस्तखत.....

ओहदा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजोदाबा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान.....			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान.....		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)